10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 / नि. पुनरीक्षण / 2018

निगरानी-2568/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

श्रीमति पुष्पा पटैरिया पत्नि संतोष पटैरिया आयु 45 वर्ष निवासी गाम गनेश पुरम कालौनी वार्ड न.0–18 त0व जिला टीकमगढ म0प0

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1–राजकुमारी चौबे पत्नि रमेश कुमार चौवे आयु–55 वर्ष पेशा–गृहणी निवासी पाण्डेर त. व जिला टीकमगढ म0प्र0

2–म0प्र0 शासन नायव तहसीलदार वृत्त सर्मरा

3–नीतू पचोरी पटवारी हल्का पर

अनावेदकगण

पुनरीक्षण धारा–50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

न्यालालय नायव तहसीलदार वृत्त सर्मरा तहसील व जिला टीकमगढ के न्यायालय से पारित प्र0 क0123 / अ–27 / 16–17 पारित आदेश दिनांक 5–12–2017 से व्यथित वटवारा के विरूद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता अपने पुनरीक्षण मे सादर निम्न प्रकार से विनयी है।

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार वृत्त सर्मरा के यहॉ अनावेदक श्रीमति राजकुमारी पत्नि रमेश चोबे के द्वारा म0प्र0 भू0रा0सहिता की धारा –178 के अन्तर्गत वटवारा आवेदन भू0ख0न0 309 / 3 रकवा 1.319 स्थित भूमि ग्राम पाण्डेर तहसील व जिला टीकमगढ रा0 नि0 मण्डल सर्मरा जिला टीकमगढ के 1 / 2 हिस्सा के वटवारे हेतु विकय विलेख दिनांक 4–3–2016 प्रस्तुत किया है।

2– यह कि उक्त भूमि अनावेदक द्वारा भूमि ख0न0 309/3 विक्रेता रामविलास तनय हरदास ब्रा0 टीकमगढ से क्रय करना व रिकार्ड में नामांतरण करा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2568/2018/टीकमगढ़/भू.रा. पुष्पा विरूद्ध राजकुमारी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह नायब तहसीलदार सर्मरा टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 123/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नर्वान संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	